

विजयसिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 12/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/136

हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 254 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम दुर्गसिंह पुत्र छोटुसिंह के स्थान पर विजयसिंह पुत्र छोटुसिंह दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश: : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा रोहिणा के खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3391 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 254 रकबा 2.6709 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम दुर्गसिंह पुत्र छोटुसिंह के स्थान पर विजयसिंह पुत्र छोटुसिंह दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)